

LAND TITLE CERTIFICATE

From:- Advocate Alok Sharma
Near Kalada Burn Centre,
Choubey Colony, Raipur (C.G.)
(Issuing Advocate/ Legal Council)

To :- The Regional Director
Western Regional Committee
National Council for Teacher Education
Bhopal

Sub :- **Land Title Certificate**

On the request of Viswa Bharathi Educational Development Society Sponsoring Body of Erstwhile Viswa Bharathi University Raipur / Presently Viswa Bharathi Institute, I have personally examined the various Land Documents/Records pertaining to the following land.

- 1) Address :- Chintalnagar Rajaswa Nigam Mandal,
Jagargunda, Tahsil- Konta
Distt- Dantewada (C.G.)
- 2) Location :- Konta Rajaswa Nigam Mandal,
Patwari Halka No.- 52,
Tahsil- Konta, Distt.- Dantewada (C.G.)
- 3) Area/
Measurement :- 1.946 Hectare

After careful examination of the documents and satisfying myself, I certify that the above mentioned land is presently in the Name/Title of Viswa Bharathi Educational Development Society Sponsoring Body of Erstwhile Viswa Bharathi University Raipur,

Further, it is clarified that there are no restrictions for construction of Buildings to be used for Teacher Education Courses.


(ADVOCATE)
Signature: **A. SHARMA**
NOTARY (Advocate)
RAIPUR (C. G.)

Name : Advocate Alok Sharma
Place : Raipur (C.G.)
Date : 25/11/2005



जाणीत

विक्रय पत्र हेतु बाजार मूल्य रु. 79365.00

क्रय मूल्य रु. 55000.00

273
3-8-2005

स्टाम्प का विवरण जो कि प्रोफेसर ए.व्ही.व्ही. राजू पिता श्री ए.एल.एन. राजू जाति क्षत्रीय, निवासी 16/3 बार्क स्ट्रीट चौबे कालोनी रायबुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। स्टाम्प का विवरण निम्नानुसार है :-

स्टाम्प क्रमांक / दिनांक एवं राशि

848 / 1.8.2005	रु. 1000.00
849 / --	रु. 1000.00
850 / --	रु. 1000.00
851 / --	रु. 1000.00
852 / --	रु. 1000.00
853 / --	रु. 1000.00
854 / --	रु. 1000.00
855 / --	रु. 50.00

योग - रु. 7050.00

मुद्र कि शुल्क रु. 5952.00

जनपद शुल्क रु. 794.00

उपकर शुल्क रु. 298.00

योग - 7044.00

जी.सिंह हाथी 258
वि. 2.00 अक्ष

25/8/2005



848
1-8-05

Professor A.V.V. Raju.
Sto. ALN. Raju.
Rajapur
द्वारा

उप-कोषालय अधिकारी
कोष, विद्या कलेजाड़ा, (महाराष्ट्र)
1/8/05

विज्ञापन

क्रिया



- आंक शुल्क नीचे विषय अनुसार चुका दिया
नका है :-
- 1) भार. शुल्क अक्षि. के अन्तर्गत 5952
 - 2) न. व. पंचायत " " " 194
 - 3) न. व. नगर पा. अक्षि. " " " 298
 - 4) न. व. उपकर अक्षि. " " " 0 - 10
 - 5) अतिरिक्त तरवारें ...
 - 6) अविक शुल्क (यदि चुकाया गया हो) 6

योग 7044 + 6 = 7050

2-राम-प्रभु-करी-का-नाम
प्रो. र. ली. ली. राजू फिल-ए-रत-200-
राजू-

राजू-
हस्ताक्षर-
2-राम-प्रभु-करी

उप-पंजीयक
पंजाबा



11/2/11

§2§ विक्रय मूल्य प्राप्त प्रमाण :-

मूल्य रु. 55000.00 रु. बचपन हजार मात्र प्राप्त हैं गवाहों के समक्ष नगदी प्राप्त कर लिया हूं तथा कुछ रकम बचाना शेष नहीं है।

§3§ भूमि विक्रेता :-

श्री जी. तिमहाद्री, जी. लक्ष्मीनारायण, जी. श्रीनिवास, जी. भवानी शंकर बिता जी. बेकटेश्वर राव, सु. जी. लालबित्री, देवा जी. बोरराजू रेड्डी जाति रेड्डी निवासी कोन्टा तह. कोन्टा जिला. द.ब. दन्तेवाड़ा छ.ग. ।

§4§ भूमि क्रेता :-

श्रीभार स.च्छी.च्छी. राजू बिता श्री स.एल.एन. राजू जाति धनीय निवासी 16/3 बार्क स्ट्रीट, चौबे कालोती रायपुर, छ.ग. वाईत चानलर विशु भारती इनवरतोटी रायपुर.

§5§ विक्रीत भूमि :-

निम्न वर्णित भाठा अंतिमित भूमि ब.ह.नं. 52 कोन्टा रा.नि.म. कोन्टा तह. कोन्टा जिला-द.ब. दन्तेवाड़ा छ.ग. में स्थित है।

ख.नं.	रकबा हे.में.	विक्री भूमि	लगान	भूमि किस्म	हक
316	1.946/4.81	1.946	3.37	भाठा	भूमि स्वामी
	एकड़	4.81 एकड़		अंतिमित	

11/3/11

जी सिंह हारो

जी श्रीभार स.च्छी.च्छी.



1/3/1

§6§ चौहदी :-

उक्त भूमि के उत्तर में तरहदी ग्राम बेंकटापुरम है ।

दक्षिण दिशा में ख.नं. 317/1 आबादी भूमि है ।

पूर्व दिशा में ख.नं. 327 बुनेम कन्ना पिता बजारी की भूमि है ।

पश्चिम दिशा में ख.नं. 314 तड़क रास्ता स्थित है ।

§7§ यह जमीन कच्ची तड़क से लगा है ।

§8§ ग्राम एवं रोड से दूरी :- ग्राम एवं कच्ची तड़क से लगा हुआ है ।

§9§ इमारती वृक्ष नहीं है ।

§10§ मकान नहीं है ।

§11§ यह भूमि भाठा अंतिमित है ।

§12§ कुआँ दूब बेल नहीं है ।

§13§ उक्त भूमि भू-दान यज्ञ अधिनियम 1968 या शासकीय बट्टे से प्राप्त नहीं हुआ है तथा सिलिंग एक्ट व 165 §4§ §6§ 7 क, 7 ख, छ.ग. भू-राजस्व तैहिता 1959 का उलंघन नहीं किया गया है । बिक्री भूमि बिक्रे-ता के हक हिस्से व कब्जे को है जिते बिक्री किया है ।

§14§ इस हक बिलेख में सम्पूर्ण तथ्य मुझ बिक्रेता के बताये अनुसार तथ्य वर्णित है तथा सम्पत्ति के मूल्य को प्र-भावित करने वाला कोई तथ्य नहीं उभारा गया है बिक्रय मूल्य उचित है ।

जी. सिंह 21/5/1

1/4/1

ए. क. रं. 21/5/1

जी. सिंह 21/5/1



//4//

§15§ रकम की धरु हेतु आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त वर्णित भूमि क्रेता से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर सदैव के लिए बिक्री कर आज ही दिनांक से दखल कब्जा एवं स्वामित्वाधिकार्य भी हस्तांतरित कर लीव दिया अब उपरोक्त बिक्री भूमि या उसके किसी भाग पर मु बिक्रेता या मेरे परिवार में से किसी का किसी प्रकार हक व दावा नहीं रहा और न आइन्दा होगा आइन्दा दखल करने पर झूठा व नाजायज होगा ।

यह शुद्ध बिक्रय पत्र है किसी प्रकार का रहन गहन नहीं है ।

यह भूमि किसी प्रकार विवाद मुक्त या श्रणभार नहीं है अब क्रेता इत बिक्रय विलेख के आधार पर उपरोक्त भूमि बिक्रेता की अनुवांस्थिति में अपने नाम से प्रमाणीकरण करा कर पूर्ण स्वामी होकर जैसा चाहे वैसा उपयोग करे कोई आपांति नहीं है न होगी आपांति करने पर झूठा व नाजायज होगा ।

अतः यह बिक्रय पत्र स्वेच्छा स्वस्थ मण्डितक की दशा पर लबल गवाहन के लिखाकर बढ़ाकर तमझ व मजमून बताये अनुसार तहीं पांकर याने हस्ताक्षर कर दिया कि प्रमाण रहे वक्त पर काम आवे ।

सपत्ति दिनांक 3-8-2005
 गवाह :- 1. श्री. प्र. प्र. 257

2. Sreeeeeee
 (PV SUKUMAR)

हस्ताक्षर बिक्रेता
 श्री. वि. ए. 258
 श्री. वि. ए. 258
 श्री. वि. ए. 258

P पुस्तिका कर्मांक

मध्यप्रदेश शासन

1939941



नाम काशतकार प्रो० ए० व्ही० व्ही० राजू पि० सु० रज०

रज० राजू जालि-शनिथ

ग्राम को०८१

प. ह. नं. ४२ को०८१

[मूल्य 5.00 रु. प्रति सेट]

P पुस्तिका कर्मांक

मध्यप्रदेश शासन

1939941



नाम काशतकार प्रो० ए० व्ही० व्ही० राजू पि० सु० रज०

रज० राजू जालि-शनिथ

ग्राम को०८१

प. ह. नं. ४२ को०८१

[मूल्य 5.00 रु. प्रति सेट]

प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का
नया कार्यक्रम

1939941

1. मिर्चाई क्षमता में और वृद्धि को जावे । सूखी जमीन पर खेतों से संबंधित तकनीकी ज्ञान और खादकों का विकास किया जावे ।
2. किसानों की भिन्नता के वर्गीकरण के लिए केन्द्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायें ।
3. सूखे और भूख को हटाने के लिए जल संचयन प्रणाली को प्रसारित किया जावे ।
4. सूखे और भूख को हटाने के लिए जल संचयन प्रणाली को प्रसारित किया जावे ।
5. जल संचयन प्रणाली को प्रसारित किया जावे ।
6. जल संचयन प्रणाली को प्रसारित किया जावे ।
7. जल संचयन प्रणाली को प्रसारित किया जावे ।
8. जल संचयन प्रणाली को प्रसारित किया जावे ।

[शेष तीसरे व चौथे पृष्ठ पर]



P पुस्तिका क्रमांक

श्री ० एच ० एच ० एच ०

एच ० एल ० एन ० एच ०

पटवारी हल्का नं. ५२ कोटा

कोटा विकास खण्ड कोटा

कोटा जिला देवलेवाडा

कृषक के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी का समूह

1188881

प्रस्तावना

1939941

इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य किसानों के खातों, इको, लगान, सहायता आदि का पूरा-पूरा हिसाब रखना है । इसमें किसानों को सहायता और व्यवस्थापन बैंकों द्वारा दिये गये कर्ज और उनकी वसूली का भी पूरा-पूरा लेखाजोखा रखा जाता है । मतलब यह है कि किसानों के हिसाब-किताब पूरे रहे और उन्हें सही या बैंकों से कर्ज लेने में कोई दिक्कत न हो ।

अतः यह जरूरी है कि इस पुस्तिका के लेखा नवीनतम रहे । किसानों भी चाहिये कि वे हमेशा इस पुस्तिका में नवीनतम अभिलेख कराते रहें । सम्हाल कर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसके खो जाने पर फिर से तमाम लेखा और बैंकों से रिकार्ड पूरा करवाने में बड़ी कठिनाई होगी ।

किसानों के साथ-साथ बैंकों, दफ्तरों, सहकारी संस्थाओं का भी यह है कि इस किताब के रिकार्ड को पूरा करने में जरा भी देरी न करें और सही प्रविष्टियां तुरन्त की जायें । इस संबंध में अगर कोई भी दिक्कत हो तो काश्तबा को चाहिए कि वे तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी और जरूरत पड़ने कलेक्टर से शिकायत करें । इन किताबों के रिकार्ड को पूरा करने में जो कर्मचारी सुस्त, लापरवाही, बर्दानियती बरतेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही जायेगी ।

राज्य मंत्री



P पुस्तिका क्रमांक

श्री ० एच ० एच ० एच ०

एच ० एल ० एन ० एच ०

पटवारी हल्का नं. ५२ कोटा

कोटा विकास खण्ड कोटा

कोटा जिला देवलेवाडा

कृषक के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी का समूह

1A000001

2

1-भू-सूचना

3

सं

देव भू-सूचना

(1)

1 सी विस्तार
(2)2 सी विस्तार
(3)स्रोत
(4)

देव

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

सूचना

1-भू-सूचना

3

1A000001

कृषक एवं शामिल शरीक
खातेदारों के नाम

1 फ्रीडम फंड / 1000000000

2

3

भिलेख

खाता नम्बर

भूमि पर हक का प्रकार (भू-स्वामी/
मौजूसी/शामकीय पट्टेदार)

क्रमांक (1)	खसरा नंबर (2)	रकबा (3)	लगान (4)	अबवाज (5)	रकबा (6)	सिंचाई का स्रोत (कुआ, नहर, तालाब, नदी) (7)	यदि खसरा नं. पट्टे पर है तो मौजूसी/पट्टेदार का नाम (10)	अन्य विवरण (11)
9	395	9.000	8.20	9.70	9.70			
योग 9	9.000	8.20	9.70	9.70	9.70			